सं0–799/उन्तीस/05/2(20पे0)/2001

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक, पी0एम0यू0
स्वजल परियोजना
देहरादून।

पेयजल अनुभाग– देहरादूनः दिनांकः29 मार्च, 2005

विषयः–ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर में जनपद हरिद्वार में गुर्जर पुर्नवास के अन्तर्गत पथरी एवं गैंडीखाता में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्ष 2004–05 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 1906/एस–19(111) /2005 दिनांक 21.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में पथरी एवं गैंडीखाता गुर्जर बस्ती में पेयजल आपूर्ति हेतु कमशः रू0 26.00 लाख एवं 20.00 लाख अर्थात कुल 46.00 लाख (रू0 छियालिस लाख मात्र) धनराशि संलग्न बी0एम–15 में दिये गये विवरणानुसार पुनर्विनियोग द्वारा अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो के व्यावर्तन द्वारा व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि निदेशक, पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

3– सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमों का पालन आवश्यक है जिन मदों का प्राविधान बाजार भाव से किया गया है उनका क्रय नियमानुसार ही किया जायेगा

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं ऐसे कार्यो पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवादग्रस्त हैं। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

6– प्रस्तावित कार्यो को यथासम्भव ग्रीष्मऋतु से पूर्व सम्पन्न कराना सुनिश्चित करते हुए कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के मासिक/त्रैमासिक विवरण नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय। ग्रीष्मकाल के समाप्त होने पर

कार्यवार व्यय विवरण व कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का व्यय भारत सरकार की स्वजलधारा परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मॉग आधारित सिद्धान्तों पर लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत जमा कराया जायेगा।

8– कार्यो में सैंटेज/कन्टीजेन्सी व्यय वर्तमान में प्रचलित शासकीय दर से नियमानुसार ही लिया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाशीघ्र पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायें अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कार्य की समयबद्धता व गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित प्रोजेक्ट अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

10– योजना को इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम– 03 –ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर–00–20 सहायक अनुदान/ अंशदान / राजसहायता" के नामें डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–1164/ वि0अनु0–3/2005 दिनांक 29 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0 ७११ (1)/उन्तीस/05/2(20पे0)/2001, तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3. मण्डलायुक्त गढवाल पौड़ी
4. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना हरिद्वार।
7. मुख्य विकास अधिकरी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–3/वित्त(बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल।

9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री / मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

बी०एम०–15 पुनर्विनियोग 2004–05

सलंग्नक–2

आयोजनागत

धकारी – निदेशक पी०एम०यू०, स्वजल परियोजना देहरादून।

विभाग – पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

धनराशि (रू० हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	नानक मदवार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–4 में अवशेष राशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8
215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215– जलपूर्ति तथा सफाई			(क) भारत सरकार से धनराशि सीधे अवमुक्त होने के कारण प्राविधान में बचत हुई।
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				01– जलपूर्ति–आयोजनागत			
102–ग्रमीण जलपूर्ति कार्यक्रम				102– ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				03– ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर			
97–स्वजलधारा कार्यक्रम (90% के०स०)							(ख) वास्तविक आवश्यकता के कारण।
20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता				00–20– सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहाय			
16218	–	–	16218(क)	4600(ख)	541944	11618	
16218	–	–	16218	4600	541944	11618	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्या – 1164(क)वित्त अनु0–3 / 2005
देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2005
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

सेवा में,
महालेखाकार
उत्तरांचल, देहरादून

(के०सी०मिश्र)
अपर सचिव वित्त

संख्या 799 (2) / उन्तीस / 05–2–(20पे०) / 2001, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1–कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, देहरादून । 2 वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव